

Ref. No. :UPZ /453/22-23/ 254

Date: 06/03/2023

सेवा में

प्रभागीय वनधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत।

खसम, उत्तर प्रभागीय वनधिकारी, चम्पावत
प्रतिपत्र दिनांक 7432
पत्र संख्या 12-1
दिनांक 20-3-2023

विषय : जनपद चम्पावत में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लेटी रियारी से तरकुली मोटर मार्ग के निर्माण में विधिवत स्वीकृति के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना चाहते हैं कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तारण प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति में कुछ शर्तों का परिपूर्ण परिपालन आख्या भेजी जानी है जिस हेतु महोदय को उक्त से संबंधित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं महोदय से विनम्र निवेदन है कि इस संदर्भ में अग्रिम कार्यावाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद

संलग्न :- अनुपालन आख्या की 4 प्रतियाँ।

भवदीय


प्रबंधक

पी०आई०यू० चम्पावत
एन०पी०सी०सी० लि०

कार्यालय
अधिशाली अभियंता
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य
पी०आई०यू० चंपावत

पत्रांक : UPZ/453/22-23

दिनांक 06/03/2023

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत ।

विषय :- जनपद चम्पावत मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.98 हे० वनभूमि का गैर वानिक कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम मे अवगत करना है कि उक्त मोटर मार्ग मे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, वन अनुसंधान संस्थान परिसर, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/06/277/2015/एफ०सी०/1356 दिनांक 24.10.2018 के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृती प्रदान की गयी है, सैद्धांतिक स्वीकृती की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है :-

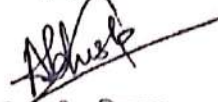
क्र० स०	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.96 हे० ग्राम-आमनी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी । उक्त भूमि वन विभाग स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा । भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृती प्रदान की जायेगी ।	उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि हेतु वन विभाग के काली कुमाऊँ वन क्षेत्र के पूर्वी छीड़ा वन ब्लॉक के कक्ष 17,18,19 मे अवन्त भूमि का चयन किया गया तथा यह भूमि वन विभाग के स्वामित्व में है। एवम महोदय उक्त भूमि का विवरण पार्ट 1 के L - Details of land identified for Compensatory Afforestation, पार्ट 2 13-Details of compensatory afforestation scheme & 19-uploaded status of land to be transferred to forest department under FCA (Mutation Details) में अपलोड किया गया है। अतः उक्त भूमि में हस्तांतरण नामांतरण की आवश्यकता नहीं है। (संलग्नक- 1, 2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी ।	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जा चुकी है (संलग्नक- 4,5, 6, 7)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर मे अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी । इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए ।	एन०पी०वी० की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-3
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost , NPV tec.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक मे जमा किए जाए । अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धांतिक स्वीकृती की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी ।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि दिनांक को जमा की जा चुकी है जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement Slip तथा Online Payment History Slip संलग्न है। संलग्नक- 5,6,7
5	सड़क निमोण के पश्चात जहाँ जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर विभाग की देखरेख में Strip plantation की जायेगी । इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है । संलग्नक- 8

6	State Govt. will submit hard copy of check list, Part I to V and FRA certificate for revise area.	चेकलिस्ट पार्ट की प्रति संलग्न है। संलग्नक-9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7
7	State Govt. will submit scheme for planting 8000 trees in a lieu of 8.00 ha falling in MDF as per Ministry guidelines dated 08.11.2017.	8.00 हे० भूमि में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का प्रस्ताव संलग्न है। संलग्नक-10.1,10.2,10.3
	अन्य शर्तें	
1	वन भूमि को विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	वन भूमि को विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-11
2	एन०पी०वी० की दरों में अगर वृद्धि होगी तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुयी दरों पर एन०पी०वी० देने को बाध्य होगा।	एन०पी०वी० की दरों में अगर वृद्धि होगी तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुयी दरों पर एन०पी०वी० देने को बाध्य होगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-12
3	क्षतिपूर्त वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.96 हे० ग्राम आमने सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अंदर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत आरक्षित संरक्षित वन घोषित किया जाएगा। तथा नोडल अधिकारी द्वारा सूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	क्षतिपूर्त वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.96 हे० ग्राम आमने सिविल एवं सोयम भूमि उपलब्धता न होने के कारण वन विभाग के काली कुमाऊँ वन क्षेत्र के पूर्वी छीड़ा वन ब्लॉक के कक्ष 17,18,19 में अवनत भूमि का चयन किया गया तथा यह भूमि वन विभाग के पूर्णतया स्वामित्व में है। अतः उक्त भूमि में हस्तांतरण नामांतरण की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-13
4	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प नहीं लगाया जाएगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-14
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊंचे आर०सी०सी० पीलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊंचे आर०सी०सी० पीलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-15
6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/केरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी जिस से आसपास के वनों को क्षति न पहुंचे।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/केरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी जिस से आसपास के वनों को क्षति न पहुंचे। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-16
7	परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र वनस्पतियों एवं वन्य जीवों किसी प्रकार कि क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी।	परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र वनस्पतियों एवं वन्य जीवों किसी प्रकार कि क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-17
8	वन भूमि का प्रयोग वन भूमि प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार कि पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग वन भूमि प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार कि पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-18
9	कम से कम वृक्षा का कटान - पातन किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 902 से अधिक न हो।	कम से कम वृक्षा का कटान - पातन किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 902 से अधिक न हो। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-19
10	सड़क निर्माण के पश्चात जंहा जंहा संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Centre verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग कि रेख देख में Strip plantantation की जाएगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जंहा जंहा संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Centre verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग कि रेख देख में Strip plantantation की जाएगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-20
11	परियोजना से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्तारण योजना के अनुसार	परियोजना से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की

	प्रभागीय वनाधिकारी को देख रेख में किया जायेगा एवं निदेश स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फैका जायेगा।	देख रेख में किया जायेगा एवं निदेश स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फैका जायेगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-21
12	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की ज़िम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की ज़िम्मेदारी होगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-22
13	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे उसका भी पालन किया जाएगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-23

अतः उपरोक्तानुसार उक्त आख्या अपने स्तर से अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को भेजने की कृपा करें।

भवदीय



अधिशारी अभियन्ता

पी0एम0जीएसवाई0 कार्य
पी0आई0यू0 चम्पावत

**कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य
पी०आई०यू० चम्पावत**

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत ।

विषय :- जनपद चम्पावत मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.98 हे० वनभूमि का गैर वानिक कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम मे अवगत करना है कि उक्त मोटर मार्ग मे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, वन अनुसंधान संस्थान परिसर, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/06/277/2015/एफ०सी०/1356 दिनांक 24.10.2018 के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि हेतु पूर्व में सिविल सोयम भूमि ग्राम आमनी मे प्रस्तावित थी किन्तु भूमि उपलब्धता न होने के कारण वन विभाग के काली कुमाऊँ वन क्षेत्र के पूर्वी छीड़ा वन ब्लॉक के कक्ष 17,18,19 मे अवनत भूमि का चयन किया गया तथा यह भूमि वन विभाग के स्वामित्व में है। एवम सैद्धांतिक स्वीकृति से पूर्व ही महोदय उक्त भूमि का विवरण पार्ट १ के L- Details of land identified for Compensatory Afforestation में अपलोड किया गया है। अतः उक्त भूमि में हस्तांतरण नामांतरण की आवश्यकता नहीं है।

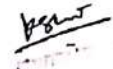
भवदीय

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जीएसवाई० कार्य
पी०आई०यू० चम्पावत

अधिकारिता प्रमाण - पत्र

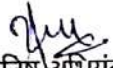
लेटी-रियासी से तरकुली सम्पर्क मार्ग हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु .काली कुमाऊँ वन क्षेत्र के पूर्वी छीड़ा वन ब्लाक के कक्ष 17,18,19 में 9.96 है० चयनित अवनत वन भूमि चंपावत वन प्रभाग की कार्ययोजना वर्ष 2011-12 से वर्ष 2020-21 तक में वर्णित कार्यवृत्त का भाग है। यह भूमि वन विभाग के पूर्णतया नियंत्रणाधीन है।


वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊँ रेन्ज
चंपावत वन प्रभाग


काली कुमाऊँ रेन्ज
चंपावत वन प्रभाग

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी
रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन
भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ-सी दिनांक 05.02.2009
के तहत दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।


कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत


प्रमुख अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत


अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

Attachment 2-37

अनुसूची - 4

प्रारूप-51

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत लेटी रियासी तरकुली
मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 15.100 कि0मी0

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार
द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि
का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत
प्रयोक्ता एजेंसी


अधिरासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
चम्पावत

संलग्नक - 5

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत,

Email-dfo_chamawat_uta@yahoo.co.in

पत्रांक

2835/12-1

दिनांक, चम्पावत

25-2-2019।

सेवा में,

अधिसूची अभियंता,

सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाय0, चम्पावत।

विषय:- जनपद चम्पावत में लेटी रिसासी तरकुली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.98 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/277/2015/एफ0सी0/1356 दि0 24.10.2018।

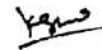
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप उक्त पत्र के उल्लिखित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। उक्त मोटर मार्ग में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क.स.	मद	ईकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन.पी.वी.	4.98 हे0 (ईको क्लास 5, घनत्व 0.5)	657000.00	3271860.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	9.96 हे0	278665.00	2775503.00

अतः कृपया उक्त डिमाण्ड नोट आनलाईन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने कष्ट करें।

भवदीय



प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

8/26/2020

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 05-03-2019	
Agency Name.	PMGSY
Application No.	6199170703
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/277/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVIS Champawat
Amount(in Rs)	6047363/-
Amount in Words :Sixty Lakh Forty-Seven Thousand Three Hundred and Sixty-Three Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896199170703 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 05-03-2019	
Agency Name.	PMGSY
Application No.	6199170703
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/277/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVIS Champawat
Amount(in Rs)	6047363/-
Amount in Words :Sixty Lakh Forty-Seven Thousand Three Hundred and Sixty-Three Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896199170703 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Sl. No.	Prepared Detail	Application No	Application No (New)	Date of the FUND/CYCLE	Amount to be Paid / Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	Construction of Chamber to Malabar High Under Project Changanassery	POAO/01/2019/0780	611011730	29 May 2020	PCA: 2645320- Add CA: CAT: 0- Add PA: 0- Salary Zone: 2- Home: 2- Home: 2- Home: 2- Total: 611011730-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Head Officer On Bank Name : Mode of Payment : Challen Generated On : Transaction Date :	Demand Letter Generated Challen : 15 Jun 2020 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challen) : 16 Jun 2020 : 29 Jun 2020
2	Construction of Chamber to Malabar High Under Project Changanassery	POAO/01/2019/0780	611011730	29 May 2020	PCA: 2645320- Add CA: CAT: 0- Add PA: 0- Salary Zone: 2- Home: 2- Home: 2- Home: 2- Total: 611011730-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Head Officer On Bank Name : Mode of Payment : Challen Generated On : Transaction Date :	Demand Letter Generated Challen : 16 Nov 2019 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challen) : 18 Nov 2019 : 13 Jan 2020
3	Construction of Chamber to Malabar High Under Project Changanassery	POAO/01/2019/0780	611011730	29 May 2020	PCA: 2645320- Add CA: CAT: 0- Add PA: 0- Salary Zone: 2- Home: 2- Home: 2- Home: 2- Total: 611011730-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Head Officer On Bank Name : Mode of Payment : Challen Generated On : Transaction Date :	Demand Letter Generated Challen : 17 Oct 2019 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challen) : 18 Oct 2019 : 19 Oct 2019
4	Construction of Chamber to Malabar High Under Project Changanassery	POAO/01/2019/0780	611011730	29 May 2020	PCA: 2645320- Add CA: CAT: 0- Add PA: 0- Salary Zone: 2- Home: 2- Home: 2- Home: 2- Total: 611011730-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Head Officer On Bank Name : Mode of Payment : Challen Generated On : Transaction Date :	Demand Letter Generated Challen : 02 Mar 2019 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challen) : 05 Mar 2019 : 02 Apr 2019
5	Construction of Chamber to Malabar High Under Project Changanassery	POAO/01/2019/0780	611011730	29 May 2020	PCA: 2645320- Add CA: CAT: 0- Add PA: 0- Salary Zone: 2- Home: 2- Home: 2- Home: 2- Total: 611011730-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Head Officer On Bank Name : Mode of Payment : Challen Generated On : Transaction Date :	Demand Letter Generated Challen : 24 Sep 2018 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challen) : 24 Jan 2019 : 04 Feb 2019
6	Construction of Chamber to Malabar High Under Project Changanassery	POAO/01/2019/0780	611011730	29 May 2020	PCA: 2645320- Add CA: CAT: 0- Add PA: 0- Salary Zone: 2- Home: 2- Home: 2- Home: 2- Total: 611011730-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Head Officer On Bank Name : Mode of Payment : Challen Generated On : Transaction Date :	Demand Letter Generated Challen : 18 Dec 2018 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challen) : 18 Dec 2018 : 18 Dec 2018

STRIP PLANTATION की वचनबद्धता प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण के पश्चात मोटर मार्ग के दोनों किनारों में Strip Plantation प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर किया जायेगा, प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को कराने हेतु वचनबद्ध है ।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जीएसवाई० कार्य
पीआईयू चम्पावत


अधिसूचना अभियन्ता
पी०एम०जीएसवाई० कार्य
पीआईयू चम्पावत

Check List**Name of the Project:- Leti-Riyasi to Tarkuli M/R under PMGSY.**

SL. No.	Name of Document	Page No.	Remark
1.1	Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency. सक्षम अधिकारी / ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	1	
1.2	Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted. सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	2	
1.3	Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS. मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जीओपीओएस के साथ दिखाया गया हो।	3	
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend. (kml file) (pdf file). गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	4	
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land (pdf file). प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	5	
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006(in MoEF revised prescribed form) (pdf file). जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण-पत्र मय संलग्नकों के (नये प्रारूप में)।	6-12	
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: signed by DFO (pdf file). प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	13	

1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA. (kml file) signed by DFO (pdf file). रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	14	
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate (pdf file). यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।	15-19	
1.10	Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency. (pdf file). भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (PDF).	20	
1.11	Cost benefit anylises (In more then 5.0 ha. Land diversion cases) (pdf file). वित्तित लागत-लाभ विशलेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।	21	

Name of the Project:- Leti-Riyasi to Tarkuli M/R under PMGSY.

SL. No.	Name of Document	Page No.	Remark
2.1	A short narrative and importance of the project.. (pdf file). प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता।	22	
2.2	Administrative and Financial sanction (pdf file). परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	23-29	
2.3	Preliminary Joint Inspection report (by user agency, forest department, revenue department etc.) (pdf file). संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट। (प्रयोक्ता एजेंसी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	30-31	
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment or alternate site explored for the proposed project and reasons for their rejection duly countersigned by DFO. (pdf file). वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का औचित्य एवं कारण।	32-35	
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum. (pdf file). जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	36	
2.6	Land schedule (for RF signed by DFO and civil soyam, Van panchayat and private nap land signed by DM). (pdf file). प्रभावित वन भूमि का लैंड शेड्यूल (रिजर्व फॉरेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	37-38	
2.7	Category wise (RF, civil soyam, Van panchayat and private nap land, Notified forest land etc.) land length, width and area in Ha. (pdf file). परियोजना की लम्बाई चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हे० में भूमि विभिन्न वर्गवार आरक्षित, निजि वन, वन पंचायत, निजि भूमि, आदि।	39	
2.8	Bar Chart with index (counter signed by DFO). (pdf file). परियोजना का भूमि उपयोग का बार-चार्ट। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	40	
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land (10 years) by DFO (pdf file). क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना सिविल भूमि पर (10 वर्षीय दशों पर)।	41-46	

2.10	Certificate regarding suitability of identified land for Compensatory Afforestation by DFO (pdf file). क्षतिपूर्क वृक्षारोपण वन स्थल उचितता प्रमाण-पत्र। (प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा)।	47	
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation duly counter signed by the DFO (pdf file). प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण को वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र। (प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	—	
2.12	Road side/gap filling plantation estimate (by DFO) (pdf file). प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	—	
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation (by user agency) (pdf file) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	—	
2.14	Estimate of 100 trees plantation by DFO (less then 1.0 ha. cases) (pdf file). प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (1 हे० से कम में लागू)।	—	
2.15	Details of the trees with their scientific name in RF, Civil Soyam, Van Panchayat, Private Notified land and in Nap Land should be mentioned (with valuation of the trees to be felled) (0-10 dia trees will be mentioned as saplings). (pdf file) Tree count. परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम। (सूची आरक्षित वन क्षेत्र, सिविल, वन पंचायत, एवं निजी भूमि दोनों अलग-अलग बनायी जानी होगी)।	48-51	
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided). (pdf file). बाँज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण-पत्र।	52	
2.17	If felling of trees is not involved, certificate by DFO in this regard. (pdf file). अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।	—	
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work. (pdf file). न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	53	
2.19	Muck disposal scheme (in prescribed format) (pdf file). परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलबा निस्तारण की योजना। (निर्धारित प्रारूप में)।	54-75	

संलग्नक - 95

2.20	Whether project area is a part of National Park or sanctuary and aural distance of the project from National Park or sanctuary signed by DFO. (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	76	
2.21	If the project area is within 10 Km radius of N/P or Centuary, Comments/No objection certificate of CCF Wild Life has to be provided. (pdf file). यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी० की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र	77	
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF Gol. (pdf file). यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा० उच्चतम न्यायालय की अनुमति।	78	
2.23	No violation has taken place, FC Act. 1980 reg. (pdf file). वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।	79	
2.24	NOC from local Gram Sabhas. (pdf file). आम-सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	80	
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation (pdf file). प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्रांकल्लन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	—	
2.26	Component wise details of construction work. (pdf file). अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण। (यदि लागू हो तो)।	—	
2.27	Certificate- work has not been started reg. (pdf file). कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	81	
2.28	Geologist Report (Govt. approved Geologist). (pdf file). भू-वैज्ञानिक की आख्या।	82-85	

संलग्नक-

9.6

2.29	Task Force report. टास्क-फोर्स रिपोर्ट।	86	
2.30	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition (pdf file). प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	87	
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas (excluding drinking water). टास्क-फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	88	
2.32	No historical/monumental or religious place will be effected certificate reg. (by DM/DFO) (pdf file). धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	89	
2.33	Undertaking regarding no animal will be effected adversely by the project. (Pdf file). वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	90	
2.34	Undertaking to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project. (Pdf file). परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तैल एवं रसोई गैस का प्रमाण-पत्र।	91	
2.35	Benefited villages/Families/Population Certificate. (pdf file). लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	92	
2.36	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreme court /MoEF orders by DFO (pdf file). एनपीवी की देयता का प्रमाण-पत्र।	93*	
2.37	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreme Court increases the rates of NPV (by user agency) (pdf file). माओ उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एनपीवी की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण-पत्र।	94	

संलग्नक - 9.7

2.38	Cost of the forest land and lease rent certificate by DM. (pdf file). वन भूमि के लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	95	
2.39	Certificate of Lease period by user agency. (pdf file) . लीज अवधि का प्रमाण-पत्र।	—	
2.40	Demarcation of land to be diverted (pdf file). आरक्षणीय पट्टों के सीमांकन का प्रमाण-पत्र।	—	
2.41	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work (pdf file). आरक्षणीय पट्टों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	—	
2.42	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate by Chief secretary (pdf file). क्षतिपूर्क वृक्षरोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्या सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र। (अगर लागू हो)।	—	
2.43	Check list/Fact sheet . चेक लिस्ट/फैक्ट शीट।		

TOTAL 95

संलग्नक -

10 (1)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना
परियोजना का नाम- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत विकास खण्ड में लेटी रियासी से तरकुली
मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव कि०मी० 15.100 तक
वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम - मोरकोट कं० 2 - 8.0 है० रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 8000 पौधे

क्र० सं०	कार्य विवरण	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	सर्वे सीमांकन	8.0	113.00	904.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	8.0	683.00	5464.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 84 घनमीटर प्रति है०की दर से - $84 \times 8.0 = 672$	672 घ०मी०	368.00	247296.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्य हेतु प्रावधान (पूर्ण)	8.0	9059.00	72472.00
5	गड्ढे खुदान (0.30 X 0.30 X 0.45) 1600 प्रति है० गड्ढे	8000 सं०	8.57	68560.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	8.0	567.00	4536.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	8000 सं०	6.85	54800.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र संयन्त्र, औजार तेज करना एवं कार्यों पर व्यय	8.00	400.00	3200.00
		योग प्रथम चरण		454432.00
	द्वितीय चरण			
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45)	8000 सं०	1.34	10720.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	8000 सं०	1.30	10400.00
3	पौध दुलान कार्य	8000 सं०	7.48	59840.00
4	पौध रोपण एवं थवलाबन्दी	8000 सं०	2.41	19280.00
5	निराई गुड़ाई व मलधिंग दो बार	8000 सं०	0.88	7040.00
6	रासायनिक खाद व दवा प्रति पौध	8000 सं०	0.25	2000.00
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देखरेख व रख रखाव पर व्यय 8 माह (कम से कम 10 है०पर)	8.0	5574.00	44592.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	8.0	350.00	2800.00
9	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4.0 मीटर पट्टी साफ करना	8.0	225.00	1800.00
10	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रात्साहित देना	8.0	400.00	3200.00
11	अन्य व्यय	8.0	700.00	5600.00
		योग द्वितीय चरण		155544.00
	तृतीय चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख रखाव व अनुसक्षण कार्य 12 माह	8.0	8362.00	66896.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	8.00	350.00	2800.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4.0 मीटर पट्टी साफ करना	8.00	225.00	1800.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रात्साहित देना	8.00	400.00	3200.00
		योग तृतीय चरण		74896.00

चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0	8362.00	66896.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना	8.00	350.00	2800.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4.0 मीटर पट्टी साफ करना	8.00	225.00	1800.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहित देना	8.00	400.00	3200.00
योग चतुर्थ चरण				74696.00
पंचम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0	8362.00	66896.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना	8.00	350.00	2800.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4.0 मीटर पट्टी साफ करना	8.00	225.00	1800.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहित देना	8.00	400.00	3200.00
योग पंचम चरण				74696.00
षष्ठम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0	8362.00	66896.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना	8.00	350.00	2800.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4.0 मीटर पट्टी साफ करना	8.00	225.00	1800.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहित देना	8.00	400.00	3200.00
योग षष्ठम चरण				74696.00
सप्तम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0	8362.00	66896.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना	8.00	350.00	2800.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4.0 मीटर पट्टी साफ करना	8.00	225.00	1800.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहित देना	8.00	400.00	3200.00
योग सप्तम चरण				74696.00
अष्टम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0	8362.00	66896.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना	8.00	350.00	2800.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4.0 मीटर पट्टी साफ करना	8.00	225.00	1800.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहित देना	8.00	400.00	3200.00
योग अष्टम चरण				74696.00

नवम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0	8362.00	66896.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास मूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना	8.00	350.00	2800.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4.0 मीटर पट्टी साफ करना	8.00	225.00	1800.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहित देना	8.00	400.00	3200.00
योग नवम चरण				74696.00
दशम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0	8362.00	66896.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास मूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना	8.00	350.00	2800.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4.0 मीटर पट्टी साफ करना	8.00	225.00	1800.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहित देना	8.00	400.00	3200.00
योग दशम चरण				74696.00
कुल योग				1207544.00

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड द्वारा की पत्र संख्या 972/3.-5-2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका दस वर्ष तक रख रखाव हेतु प्राक्कलन रू0 337184.00 प्रति है0
 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणन व्यय प्रति है0 रू0- 337184.00x 8= 2697472.00 ✓


 प्रकाश चन्द प्रभु अधिकारी
 चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत


 प्रकाश चन्द प्रभु अधिकारी
 चम्पावत


 वन क्षेत्राधिकारी
 चम्पावत वन क्षेत्र

संलग्नक-11

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी
रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन
भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।


कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत


सहायक अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत


पी०आई०यू० चंपावत
अधिसूचना अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी
रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन
भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि एन०पी०वी० की दरों में अगर वृद्धि होगी तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुयी दरों पर
एन०पी०वी० देने को बाध्य होगा।


कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत


सहायक अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत
सहायक अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत


पी०आई०यू० चंपावत
अभिप्रेत अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.96 है० ग्राम आमनि सिविल एवं सोयम भूमि उपलब्धता न होने के कारण वन विभाग के काली कुमाऊँ वन क्षेत्र के पूर्वी छीड़ा वन ब्लॉक के कक्ष 17,18,19 मे अवनत भूमि का चयन किया गया तथा यह भूमि वन विभाग के पूर्णतया स्वामित्व में है। अतः उक्त भूमि में हस्तांतरण नामांतरण की आवश्यकता नहीं है।


कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत


पी० सहायक अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत


पी० अधिशासी अभियंता
पी०एम० जी०एम० वाई० वक्म
पी०आई०यू० चंपावत

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।

कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

सहायक अभियंता
पी०एम०जी०एम०जी०वर्मा
सहायक अभियंता
चम्पावत
पी०आई०यू० चंपावत

पी०आई०यू०
पी०एम०जी०एम०जी०वर्मा
सहायक अभियंता
चम्पावत
पी०आई०यू० चंपावत

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी
रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन
भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊंचे आर०सी०सी०
पीलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।

A

कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

A

सहायक अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

A

पी०आई०यू०
पी०एम०जी०एस०वाई०वर्क्स
रियासी सचिवालय
पी०आई०यू० चंपावत

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी
रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन
भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी जिस से आसपास के वनों को क्षति न पहुंचे।

1

कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

सहायक अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत
सहायक अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

पी०आई०यू०
पी०आई०यू० चंपावत
अधिसूची अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र वनस्पतियों एवं वन्य जीवों किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी ।

कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

सहायक अभियंता
पी०एम० ज०आई०यू० चंपावत
सहायक अभियंता
हामगावत
पी०आई०यू० चंपावत

पी०आई०यू०
पी०एम० ज०आई०यू० चंपावत
पी०आई०यू० चंपावत

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का प्रयोग वन भूमि प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार कि पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा ।

कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

सहायक अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

पी०आई०यू०
पी०आई०यू० चंपावत
पी०आई०यू० चंपावत

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कम से कम वृक्षों का कटान - पातन किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 902 से अधिक न हो ।


कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत


सहायक अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत


पी०आई०यू० चंपावत
अधिसूची अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जंहा जंहा संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Centrel verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग कि रेख देख में Strip plantantation की जाएगी ।


कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत


सहायक अभियंता
सहायक अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत
पी०आई०यू० चंपावत


अधिशाली अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी
रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन
भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा
निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा
नहीं फेंका जायेगा ।


कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत


सहायक अभियंता
पी०एम०जी०आई०यू० चंपावत
चम्पावत


पी०आई०यू०
पी०एम०जी०आई०यू० चंपावत
पी०आई०यू० चंपावत

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी
रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन
भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश
आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की ज़िम्मेदारी
होगी ।


कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत


सहायक अभियंता
पी०एस०एम०ए० चंपावत
पी०आई०यू० चंपावत


अधिशायी अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी
रियासी से तरकुली मोटर मार्ग लम्बाई 15.100 कि०मी० के निर्माण हेतु वन
भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों
के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे उनका पालन किया जाएगा।

कनिष्ठ अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

सहायक अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत

पी०आई०यू०
पी०आई०यू० चंपावत
अधिशायी अभियंता
पी०आई०यू० चंपावत